केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फ़ा॰ 6-1/2001- केविसं (प्रशा॰I)/ भाग-II

दिनांक: 19.02.2018

कार्यालय ज्ञापन

केविसं के अधिशासी मण्डल ने दिनांक **28.01.2014** को सम्पन्न अपनी **96**वीं बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार) के दिनांक **19.09.2013** के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी **14017/46/2011**-स्था (आर.आर) के अनुसार केविसं में राजभाषा काडर के विभिन्न पदों के लिए संशोधित मॉडल भर्ती नियमों/ वेतनमानों को अपनाने हेतु प्रस्तुत कार्यसूची पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया :-

"अधिशासी मण्डल ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार के दिनांक **19.09.2013** के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी -**14017/46/2011**-स्था (आर. आर॰) में आदेशित मॉडल भर्ती नियमों और वेतनमानों को इन निर्देशों के साथ अनुमोदित किया था कि केविसं के राजभाषा काडर के पदों पर तैनात पदधारी जो मॉडल भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें संशोधित वेतनमान उत्तरव्यापी प्रभाव से (**Prospectively**) दिए जाएंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाए"

2. तत्पश्चात केविसं द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव दिनांक **24.02.2014** को समसंख्यक पत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्तुति हेतु भेजा गया ।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केविसं के प्रस्ताव की गहन समीक्षा करने के उपरांत दिनांक **04.01.2018** के अपने पत्र संख्या फ़ा॰ **3-5/2014**-यूटी.**2** के माध्यम से केविसं में विभिन्न राजभाषा काडर सम्बन्धी पदों के लिए मॉडल भर्ती नियमों को अपनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की जानकारी इस शर्त के साथ प्रदान की है कि वर्तमान में केविसं में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी स्वत: ही संशोधित वेतनमानों के लिए पात्र नही होंगे अर्थात यदि वे मॉडल भर्ती नियमों की पात्रता संबंधी शर्तों के अनुसार पात्र हैं तो इन भर्ती नियमों को अपनाने के उपरांत ही वर्तमान कर्मचारी पात्र हो सकेंगे ।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, आयुक्त केविसं के दिनांक **22.01.2018** के कार्यालय आदेश के माध्यम से संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केविसं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो केविसं मे विभिन्न राजभाषा काडर संबंधी पदों पर कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारी की पात्रता का सत्यापन करें ।

5. इस समिति द्वारा दिनांक **08.02.2018** को सम्पन्न अपनी बैठक में सभी कर्मचारियों के सेवा-अभिलेखों से उनके दस्तावेजों की जांच की गई तथा केविसं के सभी वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को मॉडल भर्ती नियमों के अनुसार पात्र पाया । इस समिति द्वारा अपनी सिफ़ारिशें दिनांक **09.02.2018** को प्रस्तुत की गईं ।

6. तदनुसार केविसं मे विभिन्न राजभाषा संबंधी काडर के पदों के लिए संशोधित मॉडल भर्ती नियमों और संशोधित वेतन व्यवस्था को अपनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन की जानकारी एतद्वारा निम्नवत सूचित की जाती है:-

पदनाम	**दिनांक 28.01.2014 से प्रभावी पे-बैंड एवं ग्रेड पे**		**दिनांक 01.01.2016 से प्रभावित 7 वे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल**
कनिष्ठ अनुवादक	पे बैंड	ग्रेड पे	
	पी बी -2	रु 4200/-	लेवल -6
वरिष्ठ अनुवादक	पी बी -2	रु 4600/-	लेवल -7
सहायक निदेशक (राजभाषा)	पी बी -3	रु 5400/-	लेवल -10

7. केविसं में राजभाषा काडर संबंधी पदों के पदनाम भी उपर्युक्त पैरा 6 में दिए पदनामों के अनुसार संशोधित कर दिए गए हैं ।

इसे आयुक्त केविसं के अनुमोदन से जारी किया जाता है । (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में कोई अंतर या विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

(डा.शचीकांत)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:-

1. उपायुक्त केविसं (यूटी2), मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिनांक **04.01.2018** के उनके पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. आयुक्त महोदय, केविसं के निजी सचिव ।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक) के निजी सचिव ।
4. संयुक्त आयुक्त (वित्त) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे केविसं में मॉडल भर्ती नियमों को कार्यान्वित करने के लिए रिकॉर्ड में लें।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक/प्रशिक्षण)/(अधीक्षण अभियंता)।
7. सहायक आयुक्त (स्थापना.I) और (स्थापना II एवं III)को उनके अधीन पदों के संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
8. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. निदेशक, केविसं, समस्त पांचों शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों को सूचनार्थ ।
10. उपायुक्त, (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
11. प्राचार्य, केवि मॉस्को, काठमांडू और तेहरान ।
12. महासचिव/अध्यक्ष, केविसं के समस्त मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सत्यं एवं पूर्ण अध्ययन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

F. 6-1/2001-KVS(Admn.I)/ Vol.-II

Dated: 13.02.2018

OFFICE-MEMORANDUM

The Board of Governors, KVS in its 96th meeting held on 28.01.2014, while considering the agenda on adoption of Revised Model Recruitment Rules/ Pay Scales for various official language (OL) cadre posts in KVS according to DOPT, Govt. of India OM No. AB-14017/46/2011-Estt (RR) dated 19.09.2013 had, *inter-alia*, decided as under: -

"The Board approved the Model Recruitment Rules and the pay scales ordered in the OM No AB 14017/46/2011-Estt.(RR) dated 19.09.2013 of GOI, Ministry of Personnel, PG & Pensions, DOPT with the direction that the revised pay scales would be given prospectively only to those OL cadre posts incumbents of KVS who fulfill the eligibility conditions of Model RRs. It was also decided to obtain the approval of MRHD in this matter."

2. Thereafter a detailed proposal seeking approval of the Ministry of HRD was submitted by KVS vide KVS letter of even number dated 24.02.2014.

3. After detailed examination of the proposal of KVS, the Ministry of HRD vide their letter No. F. 3-5/2014-UT.2 dated 04.01.2018 has conveyed the approval of the competent authority for adoption of Model Recruitment Rules for the various Official Language cadre posts in KVS w.e.f. 28.01.2014 with the condition that officials presently working in Kendriya Vidyalaya Sangathan would not become automatically eligible for modified scales but only after adoption of RRs and applicability in respect of existing officials would happen, if they are eligible as per the conditions of eligibility of Model Recruitment Rules.

4. Pursuant to the above approval of the Ministry of HRD, the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan vide KVS office order dated 22.01.2018 constituted a committee under the Chairpersonship of Joint Commissioner (Administration), KVS to verify the eligibility of each incumbent to various Official Language cadre posts in KVS.

5. The committee examined the documents of all the employees from their service records and, in its meeting held on 08.02.2018, found all the existing employees of KVS eligible as per the Model Recruitment Rules. The committee submitted its recommendations on 09.02.2018.

6. Accordingly, approval of the Ministry of HRD is hereby conveyed for the adoption of the revised Model Recruitment Rules and revised pay structure for various Official Language cadre posts in Kendriya Vidyalaya Sangathan as under : -

Designation	**Pay Band & Grade Pay w.e.f. 28.01.2014**		**Pay Matrix Level as per 7th CPC w.e.f. 01.01.2016.**
	Pay Band	Grade Pay	
Jr. Translator	PB-2	4200	Level – 6
Sr. Translator	PB-2	4600	Level – 7
Asstt. Director (OL)	PB-3	5400	Level – 10

7. The designation of the Official Language cadre posts in KVS also stands modified accordingly as mentioned in Para 6 above.

This issues with the approval of Commissioner, KVS.

16/2/18

(Dr. Shachi Kant)
Joint Commissioner (Pers.)

Distribution :

1. The Deputy Secretary (UT), MHRD for information w.r.t. MHRD letter dated 04.01.2018 ibid.
2. PS to Commissioner, KVS.
3. PS to Addl. Commissioner (Admn./ Acad)
4. Joint Commissioner (Finance) for information and necessary action.
5. Joint Commissioner (Admn) with the request to take on record the Model Recruitment Rules for their implementation in KVS.
6. Joint Commissioner (Acad/ Training)/(Superintending Engineer.)
7. Assistant Commissioner (Estt. I) and (Estt. II & III) for information and necessary action in respect of posts put under their control.
8. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices for necessary action.
9. Director, KVS, All 05 ZIETs, KVS.
10. Deputy Commissioner, (EDP) to upload the OM on KVS website.
11. The Principal, KV Moscow, Kathmandu and Tehran.
12. General Secretary/ President, All recognized Staff Associations of KVS.

19/2/18